

झारखण्ड सरकार  
परिवहन विभाग  
भूतल, एफ.एफ.पी. भवन, मुर्वा, राँची


॥ प्रेस विज्ञप्ति ॥

मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या-374/CS/Res. दिनांक-02.06.2021 के द्वारा राज्य में लागू "स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह" की अवधि दिनांक-10.06.2021 के प्रातः 06:00 बजे तक विस्तारित की गई है। इसलिए राज्य में व्यवसायिक तथा निजी वाहनों के आवागमन हेतु निम्न बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है :-

1. राज्य में बस परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन या औद्योगिक/खनन इकाईयों द्वारा अपने कर्मियों के लिए बस का आवागमन जिला प्रशासन की अनुमति से अनुमान्य होगा।
2. राज्य में प्रतिदिन 03:00 बजे अपराह्न से 06:00 बजे पूर्वाह्न तक सिर्फ हवाई/रेल यात्रा करने वाले यात्रियों, अन्तिम यात्रा में शामिल लोगों तथा कोविड-19 के नियंत्रण हेतु कर्तव्य पर कार्यरत व्यक्तियों का आवागमन अनुमान्य होगा।
3. E-Pass के लिए निम्न शर्तें लागू रहेंगी :-
  - i. सभी तरह के अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्जिला आवागमन हेतु E-Pass आवश्यक होगा। E-Pass के साथ वैध फोटो पहचान पत्र, रेल/हवाई यात्रा करने की स्थिति में वैध टिकट भी अनिवार्य होगा। E-Pass विभागीय पोर्टल [epassjharkhand.nic.in](http://epassjharkhand.nic.in) से Download किया जा सकेगा।
  - ii. जिला के अन्दर आवागमन हेतु E-Pass की आवश्यकता नहीं होगी।
  - iii. राज्य के अन्दर व्यवसायिक निबंधित टैक्सी से आवागमन पर E-Pass की आवश्यकता नहीं होगी।
  - iv. राज्य के अन्दर प्रवेश करने वाले निजी वाहनों या टैक्सी को E-Pass लेकर ही आने की अनुमति होगी।
  - v. भारत सरकार/झारखण्ड सरकार/अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को E-Pass की आवश्यकता नहीं होगी।
  - vi. राज्य से होकर गुजरने वाले वाहनों को E-Pass की आवश्यकता नहीं होगी।
4. झारखण्ड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को 07 दिन के Quarantine में रहना अनिवार्य होगा।
  - i. हवाई/रेल/सड़क मार्ग से झारखण्ड राज्य में आने वाले/वापस आने वाले सभी व्यक्तियों को अपना निबंधन [www.jharkhandtravel.nic.in](http://www.jharkhandtravel.nic.in) में कराना अनिवार्य होगा। सामान्यतः यह निबंधन यात्रा हेतु प्रस्थान करने के पूर्व किया जायेगा, परन्तु किसी भी परिस्थिति में यह, झारखण्ड राज्य पहुँचने की तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए।

- ii. हवाई/रेल/सड़क मार्ग से झारखण्ड आने/वापस आने वाले सभी लोगों को 07 दिनों के Home Quarantine में रहना अनिवार्य होगा। इस अवधि में Home Quarantine के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
  - iii. जिला प्रशासन द्वारा ऐसे व्यक्तियों के Home Quarantine में रहने एवं उनके द्वारा इसके लिए निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
  - iv. जिला प्रशासन द्वारा ऐसा पाये जाने पर कि व्यक्ति को Home Quarantine में रहने हेतु समुचित व्यवस्था नहीं है या उनके द्वारा Home Quarantine के दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जैसे लोगों को संस्थागत Quarantine केन्द्रों की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
  - v. उपर्युक्त निदेश, हवाई जहाज के कर्मियों, राज्य होकर गुजरने वाले दूसरे राज्य के यात्रियों, कर्तव्य पर तैनात भारत सरकार के कर्मियों, खनन/निर्माण/औद्योगिक/कृषि कार्य/स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े प्रतिदिन दूसरे राज्यों में आने-जाने वाले कर्मियों तथा 72 घंटे के अन्दर झारखण्ड आकर वापस जाने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा।
5. बिना मास्क/फेस कवर के किसी सरकारी कार्यालय/रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट/बस/टैक्सी/ऑटो रिक्शा/किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  6. ये शर्तें कोरोना संकट/महामारी से निबटने एवं कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हैं। इनका अनुपालन नहीं करने से Disaster Management Act एवं MV Act के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

उक्त के आलोक में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

  
 02/06/2021  
 परिवहन आयुक्त  
 झारखण्ड, राँची।